भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. 2006E(GC)16-4 New Delhi, Dated 01.06.2011

The General Managers
All Indian Railways,
General Manager, Metro Railway, Kolkata,
General Manager, CORE, Allahabad,
General Manager(Construction), N.F. Railway, Maligaon.

Sub:- Proposal for extension of currency of workcharged posts of Construction Organisation.

Ref:- Board's letter No. 2006E(GC)16-4 dated 13.04.2006.

As per instructions contained in Board's letter No. 2006E(GC)16-4 dated 13.04.2006, all proposals for extension of currency of workcharged gazetted posts of Construction Organisation should reach Board's office at least two months in advance, before expiry of the currency.

2. It has been observed that these instructions are not being followed and the proposals are generally sent after the expiry of the currency of the posts. Thereafter, the proposals are examined and submitted to Board for approval. Very often, the proposals for extension are not accompanied by details of the funds/ man month provision/post-wise justifications leading to further delay in processing. The obvious implication of such delay in sanctioning the extension of currency is that operation of posts is continued without the sanction of the competent authority and the salary & allowance is also managed on provisional basis. In some cases, even though the post does not qualify for extension, the currency gets extended eventually as the post has already been in operation for a good part of the year. In a case of this type, Board had taken a very serious view of such situations of "fait accompli" and desired that proposals for extension of currency should invariably be sent well in advance with complete details and should also be in line with the extant yardsticks.

3 The yardsticks for gazetted posts in Construction Projects for the year 2011-12 have been issued under Board's letter No. 2011/E&R/3/1 dated 11.02.2011. For extension of currency beyond 30.06.2011, Railways' proposals should have been received by the first week of May, 2011. However, no proposal has yet been received from any of the Zonal Railways.

Contd...2

4. It has also been observed that the prescribed yardsticks are not being followed while working out the admissible number of posts. While formulating the proposals for extension of currency beyond 30.06.2011, the instructions contained in Board's letter No. 2011/E&R/3/1 dated 11.02.2011 may be strictly followed with special emphasis on the following aspects:-

i) The admissibility of number of posts may be determined strictly as per the yardsticks.

ii) In case of Deposit works, outlays are to be reckoned provided the money has actually been deposited and only to the extent of expenditure likely to take place during the year. The deposit outlay that is to be included has to be duly certified.

iii) A further cut of 10% is to be applied on the admissible number of gazetted posts, as a measure of economy.

5. Keeping in view the above instructions, a consolidated proposal for extension of currency of SAG/HAG workcharged posts of Construction Organisation for the period from 01.07.2011 onwards may be sent to Board's office immediately.

(V. Vaidehi)
Director Estt.(Gazetted Cadre)
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2006 ई(जीसी)16-4 नई दिल्ली, दिनांक: ०| .06.2011

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता,
महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद,
महाप्रबंधक (निर्माण), पूवोत्तर सीमा रेलवे, मालीगांव।

विषय: निर्माण संगठन के कार्य प्रभारित पदों की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव।

संदर्भ: बोर्ड का का दिनांक 13.04.2006 का पत्र सं. 2006 ई(जीसी) 16-4.

बोर्ड के दिनांक 13.04.2006 के पत्र सं. 2006 ई(जीसी) 16-4 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार निर्माण संगठन के कार्य प्रभारित राजपत्रित पदों की अवधि बढ़ाने के सभी प्रस्ताव उनकी अवधि समाप्त होने से कम से कम दो महीने पहले बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाने चाहिएं।

2. यह देखा गया है कि इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और सामान्यत: प्रस्ताव पदों की अवधि समाप्त होने के बाद भेजे जाते हैं। तत्पश्चात्, प्रस्तावों की जांच की जाती है और बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। पदों की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों के साथ निधि/मैन मंथ का प्रावधान/पद-वार औचित्यों का ब्यौरा नहीं भिजवाया जाता है जिससे कार्यवाही करने में और विलंब हो जाता है। पदों की अवधि बढ़ाने की मंजूरी देने में होने वाले ऐसे विलंब का स्पष्ट आशय यह है कि पदों का परिचालन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ही जारी रहता है और वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था भी अनंतिम आधार पर की जाती है। कुछ मामलों में, पदों की अवधि बढ़ानी उपयुक्त न होने पर भी, अंतत: पदों की अवधि बढ़ानी पड़ती है क्योंकि पद पहले ही वर्ष के अधिकांश भाग में परिचालित हो चुका होता है। इस प्रकार के मामलो में, बोर्ड ने "सम्पन्न कार्य" की ऐसी स्थितियों को गंभीरता से लिया है और इच्छा व्यक्त की है कि पदों की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पूरे ब्यौरे के साथ निरपवाद रूप से पर्याप्त समय से पहले भेजे जाएं और वे मौजूदा मानदंडों के अनुसार ही होने चाहिएं।

ESST-E (GC)

3. वर्ष 2011-12 के लिए निर्माण परियोजनाओं में राजपत्रित पदों के मानदंड बोर्ड के दिनांक 11.02.2011 के पत्र सं. 2011/ई एंड आर/3/1 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। 30.06.2011 के बाद पदों की अवधि बढ़ाने के लिए रेलवे के प्रस्ताव मई, 2011 के पहले सप्ताह तक पहुंच जाने चाहिए थे। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलों से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

4. यह भी देखा गया है कि पदों की स्वीकृत संख्या आंकते समय निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। 30.06.2011 के बाद पदों की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिनांक 11.02.2011 के पत्र सं. 2011/ई एंड आर/3/1 में दिए गए अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए और निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ज़ोर किया जाए:-

(i) पदों की स्वीकृत संख्या का निर्धारण मानदंडों के अनुसार कड़ाईपूर्वक किया जाए।

(ii) निक्षेप कार्यों, के मामले में परिव्यय की गणना की जानी होती है बशर्ते कि राशि वास्तविक रूप से जमा करा दी गई हो और वर्ष के दौरान संभावित खर्च की सीमा तक हो। निक्षेप परिव्यय जिसे शामिल किया जाना है, को विधिवत् सत्यापित किया जाएगा।

(iii) इसके अलावा, मितव्ययिता उपायों के रूप में राजपत्रित पदों की स्वीकृत संख्या पर 10% की और कटौती लागू की जानी है।

5. उपर्युक्त अनुदेशों को देखते हुए 01.07.2011 से आगे की अवधि के लिए निर्माण संगठन के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड के कार्य प्रभारित पदों की अवधि बढ़ाने के समेकित प्रस्ताव बोर्ड कार्यालय को तत्काल भेजे जाएं।

वी. वैदेही

(वी. वैदेही)
निदेशक, स्था.(राज. संवर्ग)
रेलवे बोर्ड

ESST-E (GC)